(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 45/2024–2025
नई दिल्ली, दिनांकः 30 दिसम्बर, 2024

विषयः शहद के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लागू करना।

सा. आ. (अ.): समय–समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व की अधिसूचना सं. 75/2023 दिनांक 14.03.2024 के संशोधन में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अनुसूची–II (निर्यात नीति) के आइटीसी (एचएस) कोड 04090000 के अंतर्गत प्राकृतिक शहद के न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त को निम्नानुसार बढ़ाती है :–

प्रशुल्क मद एचएस कोड	मद विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्त
0409 00 00	प्राकृतिक शहद	मुक्त	**31 दिसम्बर, 2025 तक एफ.ओ.बी.** प्रति मीट्रिक टन (पीएमटी) 2000 अमीरिकी डॉलर के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अधीन

2. इस अधिसूचना का प्रभावः

प्राकृतिक शहद पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को 31 दिसम्बर, 2024 से आगे 31 दिसम्बर, 2025 तक बढ़ाया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
30.12.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा.सं. 01/91/180/879/एएम08/ईसी/खंड 8/पार्ट फाइल/ई–38272 से जारी)